# न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
## पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 49/2016

वादीगण :–

1. दिनेश पुत्र भंवरलाल
2. दिलीप पुत्र भंवरलाल
3. तरूण पुत्र भंवरलाल
4. ममता देवी पत्नि उमेश कुमार पुत्री भंवरलाल
5. रामभजनी पत्नि स्व. भंवरलाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भगवती पत्नि सुगनाराम जाति ब्राह्मण निवासी बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. गुलाबदेवी पुत्री सुगनाराम पत्नि घेवरराम ब्राह्मण निवासी जोधपुर।
3. संतोष देवी पुत्र सुगनाराम पत्नि श्री रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुड़ाया तहसील मेड़तासिटी ।
4. भंवरसिंह पुत्र माधूसिंह जाति रावणा राजपुत नि. बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री गोविन्दसिंह चौधरी वादीगण की ओर से
श्री अब्दुल सलीम खान प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 की ओर से

## निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि यह है कि वादीगण की पुश्तैनी कब्जासुद जमीन ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा में आयी हुई है जो इस प्रकार से है कि खाता सं. 1665 खसरा नम्बर 606 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि आयी हुई है । उक्त वर्णित आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी के 1/2 वां हिस्सा की भूमि वादीगण के दादा स्व. सुगनाराम ने संयुक्त परिवारी की आय से खरीद किया था जिस पर वादीगण के दादा स्व. सुगनाराम 1/2 वां हिस्सा पर व प्रतिवादी सं. पांच भंवरसिंह 1/2 वां हिस्सा पर काबिज काश्त है वादीगण के दादा सुगनाराम के जीवनकाल में वादीगण के पिता व दादी भगवती काबिज काश्त थे, इस दरमियान वादीगण के पिता/पति स्व. भंवरलाल का देहान्त हो गया जिनके वादीगण विधिक वारिसान है तथा वादीगण अपने दादा दादी के साथ साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर करते आ रहे है इस दौरान वादीगण के दादा स्व. सुगनाराम ने अपनी पुश्तैनी आय से खरीदसुदा वादग्रस्त आराजी के 1/2 वां हिस्सा का एक दान पत्र वादीगण की दादी प्रतिवादी सं. एक के नाम से करवा दिया था तथा इसके पश्चात् वादीगण के दादा स्व. सुगनाराम का भी देहान्त हो गया । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपनी दादी भगवती के साथ साथ संयुक्त रूप से काबिज

काश्त है जिसमें हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का 1/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. एक का 1/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. दो का 1/8 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. तीन का 1/8 वां हिस्सा निहीत हो गया तथा वादीगण अपने 1/8 वां हिस्सा पर प्रतिवादीगण के साथ साथ शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी कब्जासुद भूमि है जो वादीगण को अपने दादा दादी से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का पैदाईशी हक निहीत हो चुके है । वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून अनुसार बंटवाड़ा भी करवाया हुआ नही है । प्रतिवादी सं. दो, तीन की नियत में फर्क हो गया तथा वादीगण की दादी प्रतिवादी सं. एक को अपने वंश में कर लिया तथा वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में वादीगण की दादी प्रतिवादी सं. एक के नाम से इन्द्राज होने से अजनबी लोगो को बैचान करने की नियत से दिखाने लगी इस पर वादीगण ने मना किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सम्पति है जो वादीगण के परिवार की संयुक्त आय से ही वादीगण के दादा स्व. सुगनाराम के खरीद की तथा प्रतिवादी सं. एक को दान में दी है इसलिए प्रतिवादी सं. एक को उक्त भूमि खुर्द बुर्द करने, बैचान करने का कोई हक अधिकार नही है इस पर प्रतिवादी सं. एक वादीगण से नाराज हो गयी तथा वादीगण को ऐलानिया रूप से दिनांक 05.05.2016 को धमकी दी कि वह वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देगी तथा वादग्रस्त अविभाजित आराजी को खुर्द बुर्द कर देगी जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है जिसके लिए वादीगण को उक्त वादपत्र बाबत् जारी करने स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है । वादग्रस्त आराजी वादीगण की संयुक्त परिवार की आय से वादीगण के दादा स्व. सुगनाराम की खरीदसुदा कब्जासुद होने व वादीगण अपने दादा पिता के साथ साथ वादग्रस्त भूमि 1/8 वां हिस्सा पर काबिज काश्त होने से वादीगण वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि 1/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. एक 1/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. दो 1/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. तीन 1/8 वां हिस्सा के खातेदार घोषित होने के हकदार है । वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं. एक के साथ साथ 1/8 वां हिस्सा पर काबिज काश्त होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि में हिन्दु विधि के अनुसार 1/8 वां हिस्सा के खातेदार घोषित होने के हकदार है । वादीगण अपनी वादग्रस्त पुश्तैनी कृषि भूमि का माफिक हक हिस्सानुसार माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा करवाकर अलग अलग राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने के हकदार है । बिनाय दावा बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण वाद में वर्णित तथ्यो व परिस्थितियो की वजह से तथा दिनांक 05.05.2016 को प्रतिवादी सं. एक द्वारा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. एक के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने से वादग्रस्त भूमि को बैचान, हस्तान्तरण करने एवं खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बोरून्दा मे पैदा हुआ व आज भी हो रहा है । इस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है कि :– वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 606 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी

सं. दो, तीन, को प्रतिवादी सं. एक के साथ साथ प्रत्येक को 1/8 : 1/8 वां हिस्सा का खातेदार घोषित फरमावें । वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा के वादीगण के हक हिस्सा कब्जासुद बंटसुदा में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें न किसी अन्य से करावे। वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य माफिक हक हिस्सानुसार माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा की डिकी सादिर फरमायी जावें । अन्य अनुतोष जो हित वादीगण हो वादीगण के हक में अता फरमावें ।

वादी का वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3 की ओर से वकील अब्दुल सलीम खान सिन्धी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । वकील प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 ने जवाब प्रस्तुत किया है कि वादीगण ने इस पद को पूर्णतः गलत रूप से मनगढ़त रूप से कथित किया है जिसे प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 पूर्णतः अस्वीकार कर खण्डन कर देते है कि इस पद में वर्णित अस्वीकार कर खण्डन कर देते है कि इस पद में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 606 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय कभी भी वादीगण की पुश्तैनी सम्पति नही रही न ही कब्जासुद रही । वास्तविक तौर पर इस पद में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पति सुगनाराम ने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 606/ का 1/2 हिस्सा जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.08.1998 को खरीद की थी जो रजिस्ट्री उप पंजियक कार्यालय बिलाड़ा को उसी दिन पंजीयनसुदा है । ऐसी स्थिति में उक्त सम्पति को वादीगण द्वारा अपनी पुश्तैनी बताना निहायत ही झुठ एवं गलत है । उक्त सम्पति सुगनाराम ने उगराराम जाट से खरीद की थी इस कारण उक्त सम्पति सुगनाराम की स्व अर्जित सम्पति स्वयं की आय से खरीदसुदा रही है तथा सुगनाराम जी ने स्व अर्जित सम्पति होने के कारण अपने जीवन काल में अपनी पत्नि यानि प्रतिवादी सं. 1 के हक में दिनांक 22.06.2012 को एक बख्शीशनामा बख्शीश कर उप पंजीयक कार्यालय पीपाड़ शहर में तस्दीक करवा कर अपने खातेदारी अधिकारो का हस्तांतरण अपनी पुत्रियों यानि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हक में अधिकारो का हस्तांतरण कर दिया था तथा भौतिक कब्जा भी उसी दिन अपनी पुत्रियो का सुपुर्द कर दिया था । इस कारण पद सं. 1 वादीगण का पूर्णतः झुठा व गलत रूप से कथित किया हुआ है। वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र के पद संख्या दो का जवाब इस कदर है कि इस पद मे वादीगण ने वादी एवं प्रतिवादीगण का वंश वृक्ष दर्शाया है जो वंश वृक्ष सुगनाराम जी के वारिसान का बता कर दर्शाया गया है जिससे इस वाद पत्र के तथ्य कतई साबित नही होते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 606 कभी भी वादीगण की पुश्तैनी सम्पति आराजी रही हो। वादीगण ने अपने हित साधने की बदनियती से इस पद का

कथन किया जो सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र के पद संख्या 3 का जवाब इस कदर है कि वादीगण का यह कथन पूर्णतः झुठा, मनगढंत, कपोल कल्पित एवं वास्तविकता से परे है कि वादग्रस्त आराजी सुगनाराम जी ने उक्त खसरा नं. 606 का 1/2 वां हिस्सा संयुक्त परिवार की आय से खरीद किया गया हो। वास्तविकता यह है कि सुगनाराम जी ने उपरोक्त वर्णित खसरे की 1/2 वां हिस्सा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद किया था। प्रतिवादीगण संख्या 1से 5 के पिता व पति भंवरलाल जी आज से करीब 40 वर्ष पूर्व से ही सुरसागर एरिया जोधपुर मे निवास करते रहे है। ग्राम बोरून्दा मे सुगनाराम जी अपनी पत्नी व पुत्रियो के साथ निवास करते थे तथा भंवरलाल जी के जोधपुर चले जाने के पश्चात ही सुगनाराम जी ने उक्त वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद किया था जो बख्शीश अपनी पत्नी को उन्होने अपने जीवनकाल मे कर दिया था ओर सुगनाराम जी की पत्नी भगवती देवी ने अपनी दोनो पुत्रियो गुलाबदेवी व संतोषदेवी को उक्त आराजी के सम्पूर्ण हक अधिकार बख्शीशनामे के जरिये हस्तांतरित कर दिये व कब्जा सुपुर्द कर दिया ऐसी स्थिति मे 1/8 वां हिस्सा वादीगण का कतई नही बनता न ही आराजी कभी संयुक्त आय से खरीद की गई पुश्तैनी सम्पति रही है। वादीगण का आज दिन तक उक्त आराजी के 1 इंच भूमि पर कतई हक दावा एवं कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही रहा है। उपरोक्त आराजी मे प्रतिवादी सं. 1 से 3 कृषि उपयोग हेतु इजारे पर अन्य व्यक्तियो को दी हुई है। वास्तविक कब्जा आज भी प्रतिवादी सं. 2 व 3 के कब्जे मे है। इससे पूर्व सुगनाराम जी के कब्जे काश्त की रही तथा सुगनाराम जी के फोत होने पर उक्त वर्णित कृषि भूमि का 1/2 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 3 का संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी रही है। वादीगण ने झुठे कथन कर इस पद को कथित किया गया है जो प्रतिवादीगण अस्वीकार कर उपरोक्त अनुसार खण्डन करते है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जवाब इस कदर है कि वादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अपना होने व वादग्रस्त आराजी अपने दादा दादी से प्राप्त होने का कथन मनगढंत रूप से झुठे कथित किये है जिन्हे प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 अस्वीकार करते है तथा इस पद मे बंटवारा नही होने व वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने के कथन किये है। वास्तविक रूप सं बंटवारा करवाने का अधिकार वादीगण को कतई प्राप्त नही है न ही राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार वादीगण को प्राप्त है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने उपरोक्त पदो के जवाब मे पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की कभी भी पुस्तैनी कब्जासुद व संयुक्त परिवार की आय से खरीदसुदा नही है इस कारण न तो वादीगण को उक्त सम्पति का बंटवारा करने का न ही अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाने का ओर न ही स्थगन आदेश के जरिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को हस्तांतरण व उपयोग उपभोग से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को रोकने का अधिकार प्राप्त है इसलिए इस पद मे कथित उपरोक्त पदो मे वर्णनानुसार जवाब के आधार पर इस पद के सभी कथनो को अस्वीकार कर खण्डन करते है। वादीगण को उक्त वाद पत्र वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी व

संयुक्त आय से खरीदसुदा व कब्जासुदा नही होने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत करने का वादकारण पैदा ही नही हुआ न ही वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार भी वादीगण को है इसलिए वाद पत्र खारिज किये जाने के योग्य है । वादीगण ने इस पद को मनगढ़त रूप से झुठे तथ्यो के आधार पर कथित किया गया है । वादीगण का कोई हिस्सा वादग्रस्त आराजी में नही बनता न ही कोई अधिकार किसी भी तरीके से किसी भी कानून से वादीगण को उक्त आराजी में प्राप्त होते है क्योकि उक्त आराजी आज दिन तक कभी भी वादीगण की पुश्तैनी अथवा संयुक्त परिवार के आय की नही रही है इसलिए वादीगण का 1/8 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में कतई नही बनता बल्कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 को जरिये बख्शीशनामा प्राप्त हुई थी । इस कारण वादग्रस्त आराजी स्व अर्जित आराजी रही है । और स्व अर्जित आराजी होने के कारण ही प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हक में एक बख्शीशनामा रजिस्टर्ड करवा कर खातेदारी अधिकारो का हस्तातंरण कर दिया है । इस कारण वादग्रस्त आराजी आज भी प्रतिवादी सं. 2 व 3 की स्व अर्जित आराजी है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी वादीगण को प्राप्त नही होते है इसलिए वादीगण को खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का न्यायालय के जरिये कतई कोई अधिकार नही है इसलिए वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण करीब 40 वर्षो से नही किया है न ही वादग्रस्त आराजी से एक इंच पर भी काबिज होकर काश्त किया है । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के 1/8 वां हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करने के कथन पूर्णतः झुठे व मनगढ़त है । इस कारण वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है । वादीगण को वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा करवाने का अधिकार कतई प्राप्त नही है क्योकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कोई अधिकार नही लगते है और न ही राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम खातेदार या सहखातेदार के रूप में दर्ज है । और न ही मौके पर भौतिक रूप से काबिज कानून अनुसार भी उनका कोई हक अधिकार वादग्रस्त आराजी में नही बनता इस कारण सभी कथनो को अस्वीकार कर प्रतिवादी सं. 1 से 3 खण्डन करते है । प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने कभी भी वादीगण को किसी प्रकार की कोई धमकियां नही दी जब वादीगण को किसी प्रकार की कोई धमकियां नही दी जब वादीगण का कोई हक अधिकार वादग्रस्त आराजी मे बनता ही नही है तो ऐसी स्थिति में इनको धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है । वादीगण ने मनगढ़त रूप से वादकारण बताने की बदनियती से झूठे कथन कर इस पर को कथित किया है इस कारण अस्वीकार करते है । वादीगण ने न्यायालय से जो इस्तदुआऐ चाही गई है वे सभी वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के कारण उपरोक्त जवाब में कथित कथनो के आधार पर व संलग्न रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड बख्शीशनामे के आधार पर खारिज किये जाने के सादर आदेश फरमावें ।

इसी प्रकार अप्रार्थीगण सं. 4 की ओर से वकील रामकिशोर सांखला ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और साथ जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जो इस प्रकार से है :-

वाद पत्र के पद सं. 1 मिथ्या, भ्रामक तथ्यो, पर आधारित होने से अस्वीकार है ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 606 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा जमीन प्रतिवादी सं. एक के 1/2 वां हिसा व प्रतिवादी सं. चार के 1/2 वां हिस्सा की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर प्रतिवादी सं. एक व चार का माफिक हक हिस्सानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. चार ने अपनी खरीदसुदा कब्जासुद जमीन के चारो तरफ पक्की दीवार निकालकर चारदीवारी की हुई है । वादीगण ने अपना वंशवृक्ष दर्शाया है जबकि उक्त वाद में वादीगण को अपना वंश वृक्ष दर्शाया जाने की कतई आवश्यकता नही है । वादीगण स्वयं स्वीकार करते है कि वादग्रस्त भूमि का 1/2 वां हिस्सा प्रार्थीगण के दादा सुगनाराम ने खरीद किया व 1/2 वां हिस्सा प्रतिवादी सं. चार भंवरसिंह का है प्रतिवादी सं. पांच तहसीलदार पीपाड़ शहर है । इस प्रकार वास्तविकता यह है कि ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा में से 1/2 वां हिस्सा की भूमि प्रतिवादी सं. चार भंवरसिंह पुत्र माधुसिंह ने जरीये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 11.07.1977 को सुगनाराम पुत्र रूपाराम जाति ब्राह्मण से खरीद की थी तथा वक्त खरीद से ही प्रतिवादी सं. चार अपने 1/2 वां हिस्सा पर भौतिक कब्जा प्राप्त कर काश्त करना शुरू कर दिया तथा प्रतिवादी सं. चार ने अपने 1/2 वां हिस्सा की भूमि के चारो तरफ दिवार निकालकर चारदीवारी निर्माण करवाया तथा अथक धन श्रम खर्च करके उपजाऊ शक्ति वाला बनाया है इस प्रकार प्रतिवादी सं. चार की उक्त 1/2 वां हिसा की 04 बीघा 04 बिस्वा जमीन खरीदसुदा कब्जासुद है जिस पर अप्रार्थी सं. चार वक्त खरीद से यानि वर्ष 1977 से यानि पिछले चालीस वर्षो से प्रतिवादी सं. चार अपने 1/2 वां हिस्सा की खरीदुसदा कब्जासुद जमीन पर काबिज काश्त है । वादीगण का कतई वादग्रस्त आराजी के 1/8 वां हिस्सा पर कब्जा काश्त नही है । वादीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय हाजा में नही आये है जिससे भी वाद पत्र काबिल खारिज के है । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. एक की 1/2 वां हिस्सा व अप्रार्थी सं. चार की 1/2 वां हिस्सा की खातेदारी कब्जासुद जमीन है प्रतिवादी सं. चार ने वर्ष 1977 में ही वादग्रस्त आराजी का 1/2 वां हिस्सा सुगनाराम से खरीद कर लिया तथा मौके पर उसी समय भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया एवं चारो तरफ दिवार निकालकर चारदिवारी की हुई है । इस प्रकार प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नही है प्रतिवादी सं. चार वाले 1/2 वां हिस्सा की 04 बीघा 04 बिस्वा पर प्रतिवादी सं. चार चारो तरफ दिवार निकालकर चारदिवारी की हुई है तथा कब्जा काश्त है । दिनांक 05.05.2016 को प्रतिवादी सं. चार से प्रार्थी/ वादीगण मिले तक नही इसलिए धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है । प्रतिवादी सं. एक से तीन से वादीगण ने मिलीभगत कर दुर्भिसंधि कर मिथ्या वाद पेश किया है जो काबिल खारिज के है । वादीगण ने मात्र प्रतिवादी सं. चार को तंग व परेशान करने की नियत से मिथ्या वाद पेश किया है वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. चार भंवरसिंह ने जरीये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 11.07.1977 को सुगनाराम उर्फ सुगनलाल पुत्र

रूपाराम से खरीद की थी जो बेचाननामा कतई स्वतः शुन्य हो नही होकर शुन्यकरणीय है जिसके लिए वादीगण ने बेचान रजिस्ट्री निरस्त करवाने हेतु भी कोई वाद पेश नही किया इसलिए भी वाद चलने योग्य नही है । वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड बाबत् भी वादीगण को जानकारी तक नही है तथा न वादीगण का कब्जा है जिससे भी वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के हकदार नही है । वादग्रस्त आराजी कतई वादीगण की पुश्तेनी नही है वादीगण को पुश्तैनी अधिकारो की परिभाषा तक नही है मात्र मिथ्या कहानी बनाकर वाद पेश किया गया है । वादीगण को किसी प्रकार का वाद कारण ही पैदा नही हुआ जिससे भी वाद पत्र काबिल खारिज के है । इस्तदुआ वादीगण जो वाद पत्र सरासर मिथ्या, आधारहीन तथ्यो पर आधारित होने से वादीगण किसी प्रकार की इस्तदुआ पाने के हकदार नही है । अतः जवाबदावा पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन हे कि वादीगण का वाद पत्र सरासर मिथ्या, आधारहीन, तथ्यो पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें ।

वाद में दावा, जवाब दावा, व जवाब दस्तावेज वगैराह प्रस्तुत किए गये जिसके अनुसार वाद में निम्न तनकीयात तय किए गएः–

1. आया खाता सं. 1665 खसरा नम्बर 606 सरहद बोरून्दा की जमीन वादीगण की पुश्तेनी तथा 1/8 हिस्से की है ।

(जिम्मे – वादीगण)

2. आया खाता सं. 1665 खसरानम्बर 606 सरहद बोरून्दा का विधि अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ है तथा हिस्सा अनुसार वादीगण काबिज चले आ रहे है ।

(जिम्मे – वादीगण)

3. आया खाता सं. 1665 की खसरा नम्बर 606 वादीगण की भूमि वादीगण के दादा की खरीदसुदा न होकर वादीगण के पुश्तैनी अन्य भूमि की अदला बदली कर वादीगण के दादा की प्राप्त की थी जिस पर वादीगण का हक व हिस्सा पुश्तैनी अनुसार है तथा डिक्री पाने के अधिकारी है ।

(जिम्मे – वादीगण)

4. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नही है कब्जा के अभाव में वादी काबिल खारिज है।

(जिम्मे – प्रतिवादीगण)

5. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 4 की खरीदसुदा है जिसमें प्रतिवादी सं. 4 ने अपने 1/2 हिस्सा पर चारो तरफ दीवार निकाल कर कब्जा प्राप्त कर लिया ।

(जिम्मे – प्रतिवादीगण)

6. आया वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी नही है ।

(जिम्मे – प्रतिवादीगण)

7. आया प्रतिवादी सं. 4 ने दिनांक 05.05.2016 को वादीगण को धमकी नही दी इसलिए वाद कारण के अभावा में वाद चलने योग्य नही है ।

(जिम्मे – प्रतिवादीगण)

8. अनुतोष ?

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादीगण तरूण, दिलीप, पूनमचन्द दाधीच, के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये है। वकील वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये

1. जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 EXP 1

जबकि वकील प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी साक्ष्य संतोष, गुलाबदेवी, व भगवती के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये ।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी एवं पत्रावली पर उभय पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का गठन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र, मौखिक एवं प्रलेखीय दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इस न्यायालय का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :– समस्त तनकीयात का गहन परीक्षण करने पर पाया गया कि अधिकतर (अधिसंख्य) तनकीयात को वकील वादी अपने पक्ष में सिद्ध करने मे असफल रहे है । अतः अधिकतर (अधिसंख्य) तनकीयात प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि विधिक उत्तराधिकारियो के बारे में विवाद है, भंवरलाल को विधिक उत्तराधिकारीयो के नाम क्यो नही आये, दो सेलडीड पेश की गयी । सुगनाराम से उगराराम व उगराराम से सुगनाराम पैसे देने का हवाला है । एक दिन में दोनो ट्राजेक्शन है। सुगनाराम की पैतृक सम्पति है । सुगनाराम ने भवगती देवी को बक्शीश की । भगवती ने अपनी बेटियो के नाम की, यह सम्पूर्ण कार्यवाही भंवरलाल के विधिक वारिसानो के नाम वंचित करने की है । पैतृक सम्पति में अधिकार है, सुगनाराम के विधिक वारिसानो सभी को हकूक मिले । अतः वाद स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी है, दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया । आज जो फोटो कॉपी प्रस्तुत की है उसमें माना जाने का कोई सिद्वान्त नही है । अदला बदली होने पर एक्सचेन्ज डीड प्रस्तुत करते। हिन्दु विधि उतराधिकारियो के अन्तर्गत पुश्तैनी सम्पति है । तीसरी पुरूष पीढी तक। वादग्रस्त सम्पति सुगनाराम की खरीदसुदा, पत्रावली में रजिस्टर्ड फोटो प्रतियां पेश है । सुगनाराम ने 1998 में बक्शीश की । दावा सन् 2016 में सुगनाराम के पोते के नाम । 18 वर्ष बाद दावा किया । दूसरी बक्शीश 2012, 2014 में की है । कौन सी बक्शीश फर्जी या सही है । पहले वालो को चैलेन्ज किया और न ही दूसरी का चैलेन्ज किया। आज की तारीख दोनो बक्शीशे विधिक अस्तित्व एवं प्रभाव में है, स्व अर्जित सम्पति है। पुश्तैनी सम्पति नही है । पत्नि के नाम होते ही पुश्तैनी शब्द हट गया दोनो ही बक्शीशो का सिविल कोर्ट में चैलेन्ज नही किया । केवल दावे के कारण प्रतिवादीयो

को उनके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है । आज की तारीख रेकर्ड में हमारा नाम है प्रतिवादीगण की स्वअर्जित सम्पति एवं ट्रासफर करने का अधिकार होने के कारण वादीगण का वाद भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाया सुनी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाबदावा एवं दोनो वकुलायो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रजिस्ट्रीयां का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी नही है अपितु विवेचित सम्पति स्वः अर्जित सम्पति है । दोनो बक्शीशे वर्तमान में विधिक अस्तित्व एवं प्रभाव में है जिनको सक्षम न्यायालय कोई चैलेन्ज नही किया गया है । वर्तमान में प्रतिवादीगण का रेकर्ड में नाम है । वादग्रस्त आराजी स्व. सुगनाराम की स्वअर्जित सम्पति थी जिसका बक्शीशनामा धर्मपत्नि भगवतीदेवी को किया गया । केवल दावे के कारण प्रतिवादीगणो को उनके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है । अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है । इस आशय की डिक्री पर्चा जारी हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (**SDO**)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (**SDO**)
पीपाड़ शहर

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

( आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर**

इजलास शैतानसिंह राजपुरोहित **R.A.S.**

**बाबूलाल बनाम ओमाराम वगैरा**

दावा बाबत **88,53,188 आर टी एक्ट** राजस्व मूल वाद संख्या **49 / 2016**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील गोविन्दसिंह **चौधरी** मनजानिब मुदई वकील **अब्दुल सलीम खान व रामकिशोर सांखला** मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **दोनो वकुलायो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रजिस्ट्रीयां का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी नही है अपितु विवेचित सम्पति स्व अर्जित सम्पति है । दोनो बक्शीशे वर्तमान में विधिक अस्तित्व एवं प्रभाव में है जिनको सक्षम न्यायालय कोई चैलेन्ज नही किया गया है । वर्तमान में** प्रतिवादीगण **का रेकर्ड में नाम है । वादग्रस्त आराजी स्व. सुगनाराम की स्वअर्जित सम्पति थी जिसका** बक्शीशनामा **धर्मपत्नि भगवतीदेवी को किया गया । केवल दावे के कारण** प्रतिवादीगणो **को उनके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है । अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है । इस आशय की डिकी पर्चा जारी हो ।**

लीज .....शून्य .....मुवलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.02.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायला | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजोदाबा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुकमनामा<br>मुतफर्रिक<br>मीजान..... | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुकमनामा<br>मुतफर्रिक<br>मीजान..... | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।